सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/ATY-2786/DL/42/2025-RU-IV **दिनांक: 18.05.2026**

पुलिस आयुक्त, दिल्ली,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
ई-मेल: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in
delpol.service@delhipolice.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-हापुड़,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
हापुड़- उत्तर प्रदेश
ई-मेल: sppc-up@nic.in

विषय: प्रार्थिनी के साथ हुए शारीरिक उत्पीड़न/बलात्कार एंव कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा कर मामले को दबाने के संबंध – सुश्री सुलामी सरीन, पुत्री श्री टाला सुरीन, ए/27, रघुवीर विहार, गली नं.2, प्रेम नगर फेस-3, नई दिल्ली-110086 का दिनांक 15.07.2025 का पत्र ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 22.04.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

सुश्री सुलामी सरीन,
पुत्री श्री टाला सुरीन, ए/27,
रघुवीर विहार, गली नं.2, प्रेम नगर फेस-3,
नई दिल्ली-110086

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

फाइल सं.: NCST/ATY-2786/DL/42/2025-RU-IV

माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.04.2026 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त, प्रकरण – बलात्कार संबंधी शिकायत एवं अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में।

बैठक की तिथि: 22.04.2026
प्रतिभागियों की सूची: परिशिष्टानुसार

अभ्यावेदिका सुश्री सुलामी सुरीन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 15.07.2025 के आधार पर आयोग के संज्ञान में यह मामला आया कि उनके साथ विकास कुमार नामक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया गया तथा उन्हें कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। अभ्यावेदिका ने आयोग से न्याय दिलाने एवं आरोपी के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 23.07.2025 को पुलिस आयुक्त, दिल्ली को नोटिस जारी किया गया था। प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 11.09.2025 में अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में एफआईआर संख्या 482/25 दिनांक 02.08.2025, धारा 376 आईपीसी एवं 6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़ (उ.प्र.) में दर्ज की जा चुकी है तथा प्रकरण की जांच प्रचलित है।

सुनवाई के दौरान आयोग ने यह गंभीरता से विचार किया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत गंभीर है तथा इसमें त्वरित, निष्पक्ष एवं संवेदनशील जांच सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। साथ ही, पीड़िता की सुरक्षा एवं सम्मान की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

दिनांक 22.04.2026 को आयोग में हुई सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, हापुड की तरफ से अपर पुलिस अधीक्षक तथा अभ्यावेदक उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने घटना की गंभीरता के अनुसार कार्रवाई होने की बात कही तथा एट्रोसिटी एक्ट लगाने के संदर्भ में पूछे जाने पर उन्होंने आयोग को सूचित किया कि क्योंकि वर्तमान समय में प्रकरण कोर्ट के संज्ञान में हे तो माननीय कोर्ट के आदेशानुसार ही कोई परिवर्तन किया जा सकता है किंतु उन्होंने आयोग को सूचित किया कि राज्य में उक्त प्रकार की घटना हेतु सरकार की एक योजना है उसी के तहत 3 लाख रुपये अनुकंपा राशि अभ्यावेदक को दिया जाना है किंतु उस राशि हेतु कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही है। उक्त राशि का भुगतान महिला विकास अधिकारी, हापुड द्वारा होना है। उक्त अधिकारी से आयोग में सुनवाई के समय ही फोन पर बात

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

की गई तथा उन्हें उक्त राशि को चेक अथवा किसी अन्य माध्यम से भुगतान आयोग के सामने ही करने की अनुसंशा की गई।

आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती हैं:

1. संबंधित पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रकरण की जांच निष्पक्ष एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध कठोर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।
2. पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आवश्यक संरक्षण एवं सहायता प्रदान की जाए।
3. महिला विकास अधिकारी, हापुड को अगनी सुनवाई में आहूत किया जाए। अगली सुनवाई से पूर्व तकनीकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाए जिससे पीड़िता को जल्द से जल्द उक्त राशि प्रदान की जा सके।
4. प्रकरण में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
5. प्रकरण की प्रगति से आयोग को अवगत कराया जाए तथा विस्तृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) 15 दिवस के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं.: NCST/ATY-2786/DL/42/2025-RU-IV

दिनांक: 22.04.2026

विषय: प्रार्थिनी के साथ हुए शारीरिक उत्पीड़न/बलात्कार एंव कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा कर मामले को दबाने के संबंध – सुश्री सुलामी सरीन पुत्री श्री टाला सुरीन, ए/27, रघुवीर विहार, गली नं.2, प्रेम नगर फेस-3, नई दिल्ली-86, का दिनांक 15.07.2025 का पत्र ।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंहआर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	निदेशक		
4.	श्री शिवप्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
5.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	शशांक जायसवाल	DCP Rohini	9818099051	[illegible]
2.	विक्रम सिंह	SHO/ [illegible]	8750871322	[illegible]
3.				

पुलिस अधीक्षक, जिला-हापुड़, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, हापुड़- उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	विनीत भटनागर	अपर पुलिस अधीक्षक	9454400436	Vinit
2.				
3.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				[illegible]
3.				